अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
38 / 2023	08 / 05 / 2023	15 / 05 / 2023

उनवान

श्यामप्रकाश पुत्र किशनलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. (वादी)

बनाम

(1.) प्रेम (मृतक) पुत्री मथुरालाल, पत्नी श्री केसरीलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. मृतक जर्ये कायमुकाम

(1./1) महावीर पुत्र केसरीलाल (पिता) प्रेम (माता), जाति–मीना, निवासी–झाड़ोल, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(1./2) रघुवीर पुत्र केसरीलाल (पिता) प्रेम (माता), जाति–मीना, निवासी–झाड़ोल, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज

(1./3) सुरेन्द्र पुत्र केसरीलाल (पिता) प्रेम (माता), जाति–मीना, निवासी–झाड़ोल, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(2.) गीता पुत्री मथुरालाल, पत्नी श्री बजरंगलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, हाल निवासी–फतेहपुर, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(3.) अनिता पुत्री रामकिशन उर्फ किशनलाल, पत्नी श्री हेमराज, जाति–मीना, निवासी–ककरावदा, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(4.) कमला बाई पत्नी किशनलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(5.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज।

(प्रतिवादीगण)

वाद अर्न्तगत धारा –88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक–15 / 05 / 2023

वादी द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि– (1.) यह कि ग्राम–नलावता, पटवार क्षेत्र–विनायका, भू0अभि क्षेत्र–विनायका ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 खाता न0 नया 36 पुराना 14 पर ख.न. 94 रकबा–1.11 हे0, ख.न. 95 रकबा–0.54 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा–1.65 हे0 भूमि स्थित है जो कि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है। (2.) यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–जिसमें वादी के दादा स्व0 मथुरालाल के दो पुत्र किशनलाल व धनपाल होना तथा

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

दो पुत्रियां प्रेम व गीता होना दर्शाया था प्रेम की मृत्यु के बाद प्रेम के कायममुकाम 1/1 ता 1/3 वारिस तथा वादी के पिता किशनलाल की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी कम 3 व 4 वारिस प्रदर्शित किये गये। प्रतिवादी कम 1 की मृत्यु हो चुकी है तथा मुताबिक सजरा प्रतिवादी कम 1 वादी के बुआ (पिता की बहन) के विधिक वारिसान हैं व 2 वादी की बुआ (पिता की बहन) तथा प्रतिवादी कम 3 वादी की बहन तथा प्रतिवादी कम 4 वादी की माता है। सहखातेदार दर्ज वादी के काका अर्थात वादी के पिता के भाई स्व0 धनपाल की मृत्यु हो चुकी है धनपाल की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी कम 4 ही स्व0 धनपाल जी का एकमात्र विधिक वारिस है। (3.) यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 मीना जाति के है जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है, तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते है तथा प्राचीन शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है। मुताबिक सजरा प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के पिता की बहनें है तथा तथा प्रतिवादी कम 3 वादी की बहन हैं जिनका कि विवादित आराजी में विरासतन कोई अधिकार नहीं बनता है। किन्तु विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने बिना किसी अधिकार व आधार के अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिसका प्रतिवादी कम 1 ता 3 को कोई अधिकार नहीं था। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम हटवाये।(4.) यह कि सहखातेदार दर्ज स्व0 धनपाल जी की मृत्यु लाऔलाद और अविवाहित हो चुकी है, स्व0 धनपाल जी की मृत्यु दिनांक–12/12/2008 घोषित हो जाने के बाद वादी तथा प्रतिवादी कम 4 ही स्व0 धनपाल जी का एकमात्र विधिक वारिस मौजूद है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी पर से स्व0 धनपाल जी का नाम विवादित आराजी पर से हटवाये/विलोपित करवाये।(5.) यह कि विवादित आराजी मद न0 1 में वर्णित भूमि वादी की पैतृक आराजी है जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 4 का 1/2 हिस्सा विरासतन निहित है, किन्तु त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी कम 5 द्वारा विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम कर दिया गया है, तथा स्व0 धनपाल जी के स्वर्गवास की घोषणा हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी कम 5 वादी द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने पर भी प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम व स्व0 धनपाल जी का नाम खाते से विलोपित नहीं कर रहा है, इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करने का प्रतिवादी कम 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, प्रतिवादी कम 1 ता 3 को अपना नाम विवादित आराजी पर दर्ज करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी में दुरूस्ती करवाते हुये, विवादित

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

आराजी मद न0 1 में वर्णित भूमि पर से प्रतिवादी कम 1 ता 3 व स्व0 धनपाल की नाम विलोपित करवाते/हटवाते हुऐ , विवादित भूमि पर वादी अपने व प्रतिवादी कम 4 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये।(6.) यह कि विवादित आराजी में वादी मद न0 1 में वर्णित भूमि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है किन्तु प्रतिवादी कम 5 वादी द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने पर भी प्रतिवादी कम 1 ता 3 व स्व0 धनपाल जी का नाम खाते नहीं हटा रहा है जिसकी आड़ में प्रतिवादी कम 1 ता 3 विवादित भूमि में वादी की कब्जा काश्त में बाधा डाल रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 ता 3 विवादित आराजी पर से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा है तथा विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठा कर प्रतिवादी कम 1 ता 3 आये दिन वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते हैं तथा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द रहन बेचान आदि प्रकार से हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने दिनांक– 01/05/2023 को विवादित आराजी में जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है। इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।(7.) यह कि प्रतिवादी कम 5 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी कम 6 राजस्थान राज्य का विधिक प्रतिनिधि है। जिनके विरूद्व वाद लाने हेतु 80 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति संलग्न वादपत्र है। (8.) यह कि वाद कारण दिनांक–01/05/2023 को प्रतिवादीकम 1 ता 3 द्वारा विवादित पर वादी की शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में अवरोध उत्पन्न करने पर उत्पन्न हुआ।(9.)यह कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। (10.) यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी गण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि –(अ.)कि विवादित आराजी ग्राम–नलावता, पटवार क्षेत्र–विनायका, भू0अभि क्षेत्र–विनायका ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में स्थित ख.न. 94 रकबा–1.11 हे0, ख.न. 95 रकबा–0.54 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा–1.65 हे0 पर से प्रतिवादी कम 1 ता 3 तथा स्व0 धनपाल का नाम हटाया/विलोपित किया जाकर, विवादित आराजी में वादी को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 4 को 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे। (ब.) कि प्रतिवादी कम 1 ता 3 को

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्
इटावा जिला कोटा

स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित भूमि मद न0 1 में वर्णित मे ग्राम–नलावता, पटवार क्षेत्र–विनायका, भू0अभि क्षेत्र–विनायका ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में स्थित ख.न. 94 रकबा–1.11 हे0, ख.न. 95 रकबा–0.54 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा–1.65 हे0 भूमि में वादी के शांति पूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करे वादी को बेदखल नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द रहन, बैचान, दान आदि किसी प्रकार से हस्तान्तरण आदि नहीं करे।(स.) अन्य न्यायेचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे। उपरोक्त आशय के साथ वादी ने वाद प्रस्तुत किया ।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ सर्मथन निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये–(1.) नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम नलावता खाता न0 36, (2.) नकल निर्णय व डिक्री दिनांक–25/03/2021 सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्टेट इटावा,(3.) मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेम बाई (4.) मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल उर्फ रामकिशन।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 4 स्वयं उपस्थित होकर स्वयं की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह हाड़ा ने वकालत नामा पेश किया तथा प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा नोटिस तामील प्राप्त होने के उपरान्त नोटिस लेने से इन्कार करने पर तथा प्रतिवादी क्रम 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी क्रम 2 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 1,3 व 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी क्रम 4 ने अपने हिस्से की भूमि पर भी वादी का नाम दर्ज करने व अपना नाम हटाने व विलोपित करने का कथन किया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी। वादी का वाद प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किसी विधि व किसी तथ्य के प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है, ऐसी सूरत में वाद में कोई विवाद्यक नहीं होने के कारण वाद इसी स्तर पर निर्णित किया जाने योग्य है इस हेतु वास्ते निर्णय बहस वकुलाए फरीकेन सुनी गयी।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 4 ने भी अपना नाम वादी के पक्ष में हटाने व विलोपित

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्
इटावा जिला कोटा

करने की सहमति प्रदान की है स्व0 धनपाल का एकमात्र विधिक वारिस वादी होने के कारण धनपाल का नाम भी वादी के पक्ष में हटाया जावे। इस कारण विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 ता 4 का नाम हटाया जाकर वादी को विवादित आराजी का एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

बहस अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 4 की पैतृक आराजी है तथा वादी एव प्रतिवादी कम 1 ता 4 मीना जाति के जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है, तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2की उपधारा (2) के प्रावधानित है कि–'' **उप) धारा-1) में निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम में निहित कुछ भी संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड)25) के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार, में अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र, अन्यथा निर्देशित करता है।**'' इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, तथा ऐसी कोई अधिसूचना आज दिनांक तक प्रदर्शित नहीं हुई है तथा ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 ओल्ड हिन्दु लॉ से शासित होते है। शास्त्रीय हिन्दु कानून के अनुसार पुरूष सदस्य के होते हुए महिला सदस्य विरासत से कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है, मुताबिक सजरा प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के पिता की बहने है जिनको अपने भाई किशनलाल अर्थात वादी के पिता के रहते विवादित आराजी में कोई विरासत प्राप्त करने कोई अधिकार नहीं था तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम विवादित आराजी पर दर्ज होने योग्य नहीं था तथा इसी प्रकार मुताबिक सजरा प्रतिवादी कम 3 भी वादी की बहन है उनको भी वादी के रहते विवादित आराजी में कोई अधिकार उत्पन नहीं हुऐ हैं, इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 ता 3 का विवादित आराजी में कोई विरासतन अधिकार प्राप्त नही होते है तथा स्वयं प्रतिवादी कम 1, 2 व 4 अपना हक विवादित आराजी में वादी के पक्ष में हटाने हेतु जवाब दावा व शपथ पत्र द्वारा सहमति प्रदान कर दी है इस प्रकार विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 ता 4 का नाम वादी के पक्ष में हटाया जाना न्यायोचित है। इसी प्रकार विवादित आराजी के सह खातेदार स्व0 धनपाल पत्र मथुरालाल मीणा निवासी नलावता तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की मृत्यु के सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0, इटावा जिला कोटा द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2021 प्रकरण संख्या–09/2016 बउनवान रामकिशन बनाम राजस्थान सरकार आदि में धनपाल की मृत्यु दिनांक–12/12/2008 व स्थान ग्राम नलावता माना जाकर

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजि.
इटावा जिला कोटा

उसकी मृत्यु (सिविल डेथ) न्यायालय द्वारा घोषित की जा चुकी है तथा स्व0 धनपाल का अविवाहित और लाऔलाद होना भी वाद में निर्विवादित तथ्य प्रकट होता है, जहॉ तक सह खातेदार स्व0 धनपाल की विरासत का प्रश्न है, जिसकी सिविल मृत्यु घोषित की जा चुकी है तथा स्व0 धनपाल की मृत्यु निर्वसीयत तथा अविवाहित होने का तथ्य प्रकट होता है, ऐसी सूरत में स्व0 धनपाल की विरासत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अधीन शासित होगी तथा स्व0 धनपाल भी अनुसूचित जनजाति का होने के कारण पुराने शास्त्रीय हिन्दु कानून से शासित होगी, स्व0 धनपाल की सिविल मृत्यु दिनांक–12/12/2008 को मानी गयी है, तथा उनकी मृत्यु के समय कोई पुत्र–पुत्री मौजूद नहीं थे तथा मुताबिक पारिवारिक सजरा उनके नजदीकतम पुरूष वारिस उनके भाई वादी के पिता स्व0 किशनलाल जी थे, स्व0 किशनलाल जी की मृत्यु दिनांक–14/06/2018 को हुई, स्व0 किशनलाल जी की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी कम 4 ही उनकी विरासत प्राप्त करने के एकमात्र अधिकारी है तथा प्रतिवादी कम 4 विवादित आराजी में अपना नाम वादी के पक्ष में तर्क करने हेतु जवाब दावा व शपथ पत्र द्वारा सहमति प्रदान कर दी है, इस प्रकार विवादित आराजी पर से स्व0 धनपाल का नाम वादी के पक्ष में हटाया जाना न्यायोचित है तथा वादी ही विवादित आराजी का एकमात्र उत्तराधिकारी एवं खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है। अतः ऐसी स्थिती में वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम –नलावता, पटवार क्षेत्र–विनायका, भू0अभि क्षेत्र–विनायका ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में स्थित ख.न. 94 रकबा–1.11 हे0, ख.न. 95 रकबा–0.54 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा–1.65 हे0 का एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विवदित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 ता 4 तथा सह खातेदार दर्ज स्व0 धनपाल का नाम हटाया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक–15/05/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजि
इटावा
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

उनवान

श्यामप्रकाश पुत्र किशनलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. **(वादी)**

बनाम

(1.) प्रेम (मृतक) पुत्री मथुरालाल, पत्नी श्री केसरीलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. मृतक जर्ये कायमुकाम

(1./1) महावीर पुत्र केसरीलाल (पिता) प्रेम (माता), जाति–मीना, निवासी–झाड़ोल, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(1./2) रघुवीर पुत्र केसरीलाल (पिता) प्रेम (माता), जाति–मीना, निवासी–झाड़ोल, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज

(1./3) सुरेन्द्र पुत्र केसरीलाल (पिता) प्रेम (माता), जाति–मीना, निवासी–झाड़ोल, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(2.) गीता पुत्री मथुरालाल, पत्नी श्री बजरंगलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, हाल निवासी–फतेहपुर, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(3.) अनिता पुत्री रामकिशन उर्फ किशनलाल, पत्नी श्री हेमराज, जाति–मीना, निवासी–ककरावदा, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(4.) कमला बाई पत्नी किशनलाल, जाति–मीना, निवासी–नलावता, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(5.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज।

(प्रतिवादीगण)

वाद अर्न्तगत धारा –88,89,188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं0 38/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि– **वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित आराजी ग्राम–नलावता, पटवार क्षेत्र–विनायका, भू0अभि क्षेत्र–विनायका ,तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में स्थित ख.न. 94 रकबा–1.11 हे0, ख.न. 95 रकबा–0.54 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा–1.65 हे0 का एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 ता 4 तथा सह खातेदार दर्ज स्व0 धनपाल का नाम हटाया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।**

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज **15.05.2023** को जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
इटावा
इटावा जिला कोड